न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी–रामरतन सौंकरिया आर.ए.एस.

अपील संख्याः 86/18
(आरसीएमएस संख्या 2018/00537)

निर्णय दिनांकः– 27–11–2019

1. श्रीमती कौजी पत्नी रमजान खॉ जाति मुसलमान निवासी ग्राम झझू तहसील कोलायत जिला बीकानेर।
2. सादक पुत्र रमजान खॉ जाति मुसलमान निवासी ग्राम झझू तहसील कोलायत जिला बीकानेर।
3. सामू खॉ पुत्र रमजान खॉ जाति मुसलमान निवासी ग्राम झझू तहसील कोलायत जिला बीकानेर।
4. सायरा पुत्री रमजान खॉ जाति मुसलमान निवासी ग्राम झझू तहसील कोलायत जिला बीकानेर।
5. मैना पत्नी रमजान खॉ जाति मुसलमान निवासी ग्राम झझू तहसील कोलायत जिला बीकानेर।

–अपीलांट्स

–बनाम–

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कोलायत।

–रेस्पोडेन्ट्

अपील विरुद्व निर्णय दिनांक 11–06–2017
उपखण्ड अधिकारी, कोलायत

उपस्थितः
1. श्री उमाशंकर व्यास, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट ने उक्त अपील उपखण्ड अधिकारी, कोलायत के निर्णय दिनांक 11–06–2017 के विरुद्व पेश की, जिसके द्वारा वादी/अपीलांट का वाद विधि विरूद्व तरीके से खारिज फरमा दिया गया, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 223 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट्स के पिता/पति के नाम ग्राम झझू तहसील कोलायत के खेत खसरा नम्बर 828/330 मीन में 75 बीघा भूमि बतौर दस साला आवंटन की गई थी। जिसका राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए अपीलांट्स के पिता/पति को कब्जा प्रदान किया गया था। तभी से उक्त भूमि पर अपीलांट्स के पिता/पति का व उनक स्वर्गवास के पश्चात् अपीलांट्स का निरन्तर कब्जा काश्त चला आ रहा है। अपीलांट्स द्वारा उक्त भूमि के खातेदारी अधिकारों की धोषणा हेतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दावा प्रस्तुत किया गया। अपीलांट्स द्वारा अपने दावे के समर्थन में तमाम दस्तावेजी साक्ष्य भी प्रस्तुत किये गये थे जो साबित करते थे कि उक्त भूमि पूर्व में अपीलांट्स के पति/पिता को आवंटित व कब्जे काश्त की भूमि रही है तथा वर्तमान में अपीलांट्स के कब्जे काश्त की भूमि है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तमाम दस्तावेजी साक्ष्यों पर किसी प्रकार कोई गौर नहीं करते हुए मात्र सरसरी तौर पर अपीलांट्स का दावा खारिज करने में कानूनी त्रूटि कारित की गई है। जबकि प्रकरण में यह निर्विवाद तथ्य है कि आराजी जैर अपीलांट्स के पति/पिता को आवंटित भूमि थी तथा वर्तमान में वादग्रस्त भूमि पर अपीलांटस का कब्जा काश्त चला आ रहा है।

उन्होनें आगे बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश जैर अपील राजस्व कैम्प झझू में पारित किया गया हैं जबकि प्रकरण दिन–प्रतिदिन उपखण्ड अधिकारी, कोलायत के न्यायालय में सुनवाई हेतु जैरकार चल रहा था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली को कैम्प कोई झझू में रखे जाने की कोई सूचना अथवा नोटिस अपीलांट्स को जारी नहीं किया गया है। केवल मात्र आंकड़ों को बढ़ाने के उद्वेश्य मात्र से अपीलांट्स के जायज अधिकारों को आदेश जैर अपील के माध्यम से समाप्त किया गया है। जिसका कतई अधिकार अधीनस्थ न्यायालय को प्राप्त नहीं है।

उन्होंने आगे बताया कि अदालत मातहत द्वारा उनके समक्ष विचाराधीन वाद में न्यायिक प्रक्रिया का पालन किये बिना मात्र सरसरी तौर पर निर्णय पारित किया गया है जिसके अवलोकन मात्र से यह

तथ्य पुष्ट होता है। नियमानुसार अदालत मातहत को रेस्पोडेन्ट का जवाब लेकर वादगत् भूमि के बाबत् नियमानुसार तनकीयात कायम करते हुए उनकी विवेचना करते हुए व वादी/अपीलांट की साक्ष्य लेकर दोनों पक्षों की तर्क–बहस सुनने के पश्चात् प्रकरण का विनिश्चय विस्तृत उल्लेखन करते हुए किया जाना चाहिए था। अदालत मातहत द्वारा ऐसा न करते हुए विधि के आज्ञापक प्रावधानों का स्पष्ट रूप से

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

उल्लंधन किया गया है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर आदेश जैर अपील निरस्त फरमाया जावे।

मियांद के संबंध में विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स द्वारा कथन किया गया कि चूंकि अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर अपीलांट्स को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किये बिना पारित किया गया है। ऐसे एकतरफा आदेश पर मियांद अधिनियम बाधक नहीं है। अतः अपीलांट्स की अपील अन्दर मियांद शुमार की जावे।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलांट द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 11–06–2017 के विरूद्व अपील दिनांक 29–10–2018 को पेश की गई है। जो स्पष्ट रूप से मियांद बाहर अपील है। अपीलांट द्वारा जिस वादगत् के खातेदारी अधिकारों की धोषणा चाही गई है उक्त भूमि वर्तमान में राजस्व रिकार्ड में आराजीराज दर्ज है। वादगत् भूमि पर अपीलांट का कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा है। तमाम राजस्व अभिलेखों से वादी/अपीलांट का वादगत् भूमि पर कब्जा काश्त साबित नहीं होता है। अपीलांट/वादी द्वारा वादपत्र के माध्यम से राज्य सरकार की बेशकिमती भूमि पर खातेदारी अधिकारों की धोषणा चाही गई है। जिसका अपीलांट कतई अधिकारी नहीं है। अदालत मातहत द्वारा तमाम दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर आदेश जैर अपील पारित किया गया है। जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

5. विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. (1) प्रस्तुत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादीगण ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 188, के तहत दावा पेश किया। अदालत मातहत ने अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 11–06–2017 जिसके द्वारा अपीलांट/वादी का दावा अदालत मातहत विधि विरूद्व व बिना प्रकिया अपनायें खारिज किया गया है के विरुद्व अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

(2) प्रकरण में अपीलांट का मुख्य कथन है कि अदालत मातहत को नियमानुसार वाद के संबंध में तनकीयात् कायम करते हुए, साक्ष्य व सबूत प्राप्त करते हुए तनकीवार/साक्ष्य व सबूतों के आधार पर आदेश जैर अपील पारित किया गया है ना की सरसरी तौर पर आदेश पारित किया जाना चाहिए था। जैसा की प्रकरण में अदालत मातहत नहीं किया गया।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

(3) हमने अदालत मातहत की पत्रावली, अपीलाधीन निर्णय व प्रस्तुत दस्तावेजात् का अवलोकन किया। प्रस्तुत मामलें में अपीलांट्स/वादीगण ने वादगत् भूमि वाके रोही झझू के खेत खसरा नम्बर 828/330 मीन जोकि अपीलांट्स के पति/पिता के नाम से आवंटित भूमि बताते हुए अपीलांट्स/वादीगण द्वारा अदालत मातहत के समक्ष वाद बाबत् धोषणात्मक प्रस्तुत किया गया था।

(4) इस संबंध में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश का अवलोकन किया गया। प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश जैर अपील में सर्वप्रथम यह अभिलिखित किया गया है कि वादी ने अपने वादपत्र क समर्थन में खसरा गिरदावरी संवत् 2018 से 2024 की प्रमाणित प्रतियॉ प्रस्तुत की गई है। दूसरी तरफ उसी पैरा में यह अभिलिखित किया गया है कि वादीगण द्वारा भूमि पहचान हेतु कोई राजस्व रिकार्ड प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस प्रकार परीक्षण न्यायालय द्वारा अपने आप में विरोधाभासी कथन अंकित किया जाना परिलक्षित होता है।

आदेश जैर अपील में परीक्षण न्यायालय द्वारा यह भी अभिलिखित किया गया है कि विवादित भूमि की वर्तमान स्थिति क्या है? क्या भूमि आराजीराज के रूप में दर्ज है या किसी अन्य की खातेदारी में दर्ज है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय को चाहिए था कि वे स्वयं न्यायालय के स्तर से राजस्व रिकार्ड का अवलोकन करते व वादग्रस्त भूमि के संबंध में संबंधित तहसीलदार से मौका रिपोर्ट प्राप्त की जानी चाहिए थी। ऐसी स्थिति में वादगत् भूमि की वास्तविक स्थिति स्वमेव उभर कर सामने आ जाती। अदालत मातहत द्वारा इस महत्वपूर्ण तथ्य को अनदेखा करते हुए मात्र औपचारिकता पूर्ण करते हुए आदेश जैर अपील साबित है।

(5) प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश जैर अपील कैम्प कोर्ट झझू में पारित किया गया है। परन्तु पत्रावली के अवलोकन से साबित है कि अदालत मातहत द्वारा पत्रावली को कैम्प कोर्ट में संस्थित करने का कोई नोटिस अथवा सूचना वादीगण को प्रदान नहीं की गई है। राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसरण में आयोजित कैम्प कोर्ट की मंशा यह है कि जहॉ पक्षकारों के मध्य विवाद का निस्तारण राजीनामें के आधार पर किया जाना हो तथा प्रकरण से संबंधित सभी पक्षकार राजस्व कैम्प में प्रकरण का निस्तारण करवाना चाहते हो तभी सभी पक्षकारों की मौजूदगी में राज्य सरकार की मंशा के अनुसार प्रकरण का निस्तारण किया जाना होता है, परन्तु प्रस्तुत मामलें में अपीलांट्स द्वारा प्रकरण को राजस्व कैम्प झझू में प्रस्तुत करने का कोई प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है। लिहाजा

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मात्र राजस्व कैम्प के आंकड़ों को बढ़ानें के उद्वेश्य मात्र से आदेश जैर अपील पारित किया जाना प्रतीत होता है। जिसकी न्याय अनुमति प्रदान नहीं करता है।

(6) प्रकरण में वादीगण स्वयं इस कथन के साथ अदालत मातहत के समक्ष उपस्थित हुए है कि वादगत् भूमि का सीमांकन करवाया जावे ताकि वस्तुस्थिति सामने आ सके। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत द्वारा न तो वादगत् भूमि का सीमांकन करवाया गया ना ही उनके समक्ष प्रस्तुत वाद में विधिक प्रकिया को अपनाते हुए आदेश जैर अपील पारित किया गया। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश न्यायसंगत व विधिक नियमों के विपरीत पारित किये गये आदेश की श्रेणी का परिलक्षित होता है। लिहाजा आदेश जैर अपील पुष्टि योग्य आदेश नहीं माना जा सकता।

7. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट की अपील आंशिक स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 11–06–2017 निरस्त किया जाकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोलायत को निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे वादग्रस्त भूमि के मौके की स्थिति की रिपोर्ट प्राप्त करते हुए व अपीलांट्स को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान करते हुए व दावे की विधिक प्रकिया को अपनाते हुए प्रकरण में पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

8. निर्णय आज दिनांक 27–11–2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामरतन सोंकरिया)
राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Ratan Sonkaria
Date: 2019.12.26 11:25:58 IST
Reason: SelfAttested
Location: